



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 760]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2018/फाल्गुन 9, 1939

No. 760]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2018/PHALGUNA 9, 1939

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2018

विषय : का.आ. 1053(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2017 द्वारा अधिसूचित एकीकृत भवन-निर्माण उपविधि (यू.बी.बी.एल.) 2016 के उप-खंड 2.10 में संशोधन करना ।

का.आ. 859(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली एकीकृत भवन-निर्माण उपविधि (यू.बी.बी.एल.)-2016 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :-

क्र. सं.	का.आ. 1053(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2017 द्वारा अधिसूचित यू.बी.बी.एल.-2016 का अध्याय/पैरा/खंड/उप-खंड	प्रस्तावित संशोधन
i	ii	iii
1.	<p><b>2.10 अन्तर्निहित त्रुटि उत्तरदायित्व :</b></p> <p>क) 20,000 वर्ग मी. और अधिक के निर्मित क्षेत्र वाले अधिक जोखिम के रूप में वर्गीकृत भवनों में, इसके उपयोग में आने के पश्चात किसी संरचनात्मक कमी अथवा त्रुटि के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी होंगे :</p> <p>i. वास्तुकार ।</p> <p>ii. संरचनात्मक अभियंता ।</p> <p>iii. स्थल पर्यवेक्षक/स्थल अभियंता ।</p> <p>iv. ठेकेदार और उप-ठेकेदार सहित निर्माण कंपनी ।</p>	<p><b>2.10 अन्तर्निहित त्रुटि उत्तरदायित्व :</b></p> <p>क) 750 वर्ग मी. और अधिक के प्लॉट क्षेत्रफल वाले भवनों की सभी जोखिम श्रेणी में, इसके उपयोग में आने के पश्चात, किसी संरचनात्मक कमी अथवा त्रुटि के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी होंगे :</p> <p>i. वास्तुकार ।</p> <p>ii. संरचनात्मक अभियंता ।</p> <p>iii. स्थल पर्यवेक्षक/स्थल अभियंता ।</p> <p>iv. ठेकेदार/उप-ठेकेदार सहित निर्माण कंपनी ।</p>

क्र. सं.	का.आ. 1053(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2017 द्वारा अधिसूचित यू.बी.बी.एल.-2016 का अध्याय/पैरा/खंड/उप-खंड	प्रस्तावित संशोधन
i	ii	iii
	ख) ऊपर उल्लिखित पे ावर तथा ठेकेदार और उप ठेकेदार सहित निर्माण कम्पनी इस प्रकार की देयता को पूरा करने के लिए दस वर्ष का पे ावर उत्तरदायित्व बीमा ले सकते हैं ।	ख) ऊपर उल्लिखित पे ावर तथा ठेकेदार/उप ठेकेदार सहित निर्माण कम्पनी इस प्रकार की देयता को पूरा करने के लिए दस वर्ष का पे ावर उत्तरदायित्व बीमा लेंगे ।

[सं. एफ.15(06)2016/एम.पी./पार्ट]  
डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2018

**Sub : Modification of sub-clause 2.10 in UBBL 2016 Notified vide S.O. 1053 (E), dated 5<sup>th</sup> April, 2017.**

**S.O. 859(E).**— in exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby make the following modification in the Unified Building Bye-Laws (UBBL) for Delhi 2016.

S. No.	Chapter/Para/Clause/Sub-clause of UBBL 2016 Notified vide S.O. 1053(E) dated 5 <sup>th</sup> April, 2017	Proposed Modifications
i	ii	iii
1	<p><b>2.10 Latent Defects Liability:</b></p> <p>a) The following shall be held liable for any structural flaws or defects in the buildings classified as high risk having BUA 20,000 sqm and above, after it is in use:</p> <p>i. Architect. ii. Structural Engineer. iii. Site Supervisor/ Site Engineer. iv. Construction Company including contractor and sub-contractor.</p> <p>b) The above mentioned professionals and the construction company including contractor and sub-contractor may take decennial professional liability insurance to cover for such liability.</p>	<p><b>2.10 Latent Defects Liability:</b></p> <p>a) The following shall be held liable for any structural flaws or defects in all risk category of buildings having plot area 750 sqm. and above, after it is in use:</p> <p>i. Architect. ii. Structural Engineer. iii. Site Supervisor/Site Engineer. iv. Construction Company including contractor/sub-contractor.</p> <p>b) The above mentioned professionals and the construction company including contractor/sub-contractor shall take decennial professional liability insurance to cover for such liability.</p>

[No. F.15(06)2016/MP/Pt. ]  
D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.